[illegible]

[illegible] शिक्षा परिषद,

[illegible] प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

[illegible] / सचिव

सरदार पटेल बंशगोपाल कालेज आफ फार्मेसी, महाई उन्नाव। सोसायटी / ट्रस्ट – सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेड़ा, पो0 पंसरिया, जिला–उन्नाव।

[illegible] प्राशिप / परिषद / 2022 / 5845 लखनऊःदिनांक– 14–7–2022

विषय – सत्र 2022–23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14–56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621–23 दिनांक 21–6–2022 एवं मा0 उच्चतम [illegible] के आदेश दिनांक 31–5–2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022–23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति / अनापत्ति [illegible] किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण [illegible] को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई [illegible] पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान [illegible] पर विचार करता है।

[illegible] उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2022 एवं पी0सी0आई0, नई दिल्ली के [illegible] संख्या 14–56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621–23 में [illegible] के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को [illegible] पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 नं0 406 / 2022 में पारित [illegible] प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022–23 हेतु फार्मेसी [illegible] इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022–23 हेतु परिषद द्वारा [illegible] / सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त [illegible] संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी [illegible] को सत्र 2022–23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया [illegible]

[illegible] निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण [illegible] ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी0सी0आई0 एवं [illegible] निर्धारित शर्तों / मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्थलीय [illegible] / शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जायेगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0 प्राशिप / परिषद / 2022 / 5846–47 तद्दिनांक 14–7–2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. [illegible] प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. [illegible] कम–सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, [illegible] काउंसिल बिल्डिंग [illegible], कोटला रोड, एवान–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली–110 002

[illegible] कुमार [illegible]

सचिव